राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2158/2023	सुभाष चन्द शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, सचिवालय जयपुर। 2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, डॉ0 राधा कृष्ण शिक्षा संकुल, जयपुर। 3. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, सीकर।
2.	2159/2023	बहादूर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, सचिवालय जयपुर। 2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, डॉ0 राधा कृष्ण शिक्षा संकुल, जयपुर। 3. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, सीकर।

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 22.08.2023
आदेश की दिनांक : 25.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 2158/2023 सुभाष चन्द्र शर्मा की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपील को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 17.03.1986 (अनुलग्नक–3) द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर वेतन श्रृंखला 490–840 में हुई तथा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, अजीतगढ़ (सीकर) में पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 21.03.1986 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता जरिये दिनांक 20.07.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस एवं दिनांक 04.03.2020 (अनुलग्नक–2) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, नीमकाथाना सीकर में वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर कार्यरत

है तथा अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 21.03.1986 है। नियुक्ति पश्चात अपीलार्थी द्वारा बी.ए. वर्ष 1994 में उत्तीर्ण किया गया, जिसका अंकन दिनांक 26.06.1995 को करवाया गया। साथ ही बीएड योग्यता का अंकन दिनांक 24.10.1997 को करवाया गया। दिनांक 27.02.2020 के अन्तर्गत बी.ए. में संस्कृत विषय के अध्यापकों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 986/2015 भुवनेश प्रसाद व अन्य सात अपीलों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 220/2013 तथा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018, 17.09.2019 एवं 09.10.2019 (अनुलग्नक–4) द्वारा रिवाईज डी.पी.सी. में बी.ए. संस्कृत विषय अध्यापकों को द्वितीय श्रेणी संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक पद पर रिवाईज डी.पी.सी में शामिल किया गया। अपीलार्थी भी उस योग्यता एवं श्रेणी के अन्तर्गत आता है रिवाईज डी.पी.सी. में अपीलार्थी से कनिष्ठ अध्यापकों को शामिल कर वरिष्ठता दी गई है। अतः अपीलार्थी को भी रिवाईज डी.पी.सी. संस्कृत विषय में शामिल कर वरिष्ठता का पुनः निर्धारण करावे।

4. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के स्वयं के अनुरोध को एवं उसकी कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
8. उक्त आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2158/2023 में एवं आदेश की प्रतिलिपि उपर्युक्त शीर्षक टेबिल में अंकित अन्य अपील की पत्रावली में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)